

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-05/स्था⁹⁵0/2010(खण्ड).....

पटना/दिनांक.....

जिला पदाधिकारी, लखीसराय, कैमुर (भमुआ), मुंगेर एवं जमुई से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (i) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1992 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के तहत अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्य सम्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रदत्त की जाती है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	अतिरिक्त प्रभार का पदनाम एवं जिला	शक्ति प्रदत्त की तिथि
1	2	3	4
1	श्री रामेश्वर पाण्डेय, वि०प्र०से० जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय	जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय	04.07.2013
2	श्री विवेकानन्द झा, निदेशक डी आर०डी०ए० कैमुर (भमुआ)	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमुर (भमुआ)	09.07.2013
3	श्री आजाद शहाबुद्दिन, वरीय उप समाहर्ता, मुंगेर	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर	17.07.2013
4	श्री अजय कुमार मिश्र, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, जमुई	जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई	19.07.2013 (अपराहन)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक...07/08/2013

ज्ञापांक:- 3760 :

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना वित्त (वैयक्तिक दावा कोषांग) वित्त विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर/पटना/ जिला पदाधिकारी लखीसराय/कैमुर (भमुआ)/मुंगेर एवं जमुई/जिला परिवहन पदाधिकारी कैमुर (भमुआ)/मुंगेर एवं जमुई. लखीसराय/. संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन